

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

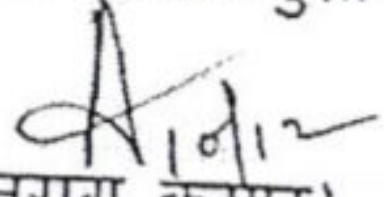
भोपाल, दिनांक 10/12/2022

क्रमांक/15-13/2007/10-2:: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा क्रमांक C 1785 दिनांक 14.11.2022 के अनुपालन में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29.04.2016 की कण्डिका-1 में आंशिक संशोधन कर जनहानि के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	क्षतिपूर्ति राशि
1	जनहानि (मृत्यु होने पर वैधानिक उत्तराधिकारी को)	रूपये 8,00,000 (रूपये आठ लाख) मात्र एवं व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल किये जाने के पश्चात इलाज के दौरान हुई हो तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय।

2/ शेष आदेश यथावत रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

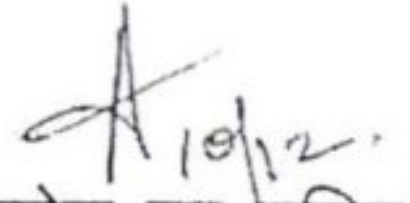

(अनुराग कुमार)

पदेन उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
 2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
 3. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल
 4. विशेष सहायक माननीय वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश
 5. स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल
 9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश
 10. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश
 11. समस्त संभागायुक्त/समस्त कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश
 12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल
 13. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त/क्षेत्र संचालक/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
 14. समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/उप संचालक/सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान
 15. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


पदेन उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल, 2016

क्रमांक/एफ 15-13/2007/10-2, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.07.2012 एवं 31.05.2014 द्वारा निर्धारित की गई वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि/जन घायल एवं पशुहानि किये जाने पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि दिनांक 07.02.2016 से निम्नानुसार पुनरीक्षित की जाती है एवं पशु घायल हेतु क्षतिपूर्ति निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	क्षतिपूर्ति राशि
1	जनहानि (मृत्यु होने पर वैधानिक उत्तराधिकारी को)	रुपये 4,00,000 (रुपये चार लाख) मात्र एवं व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल किये जाने के पश्चात इलाज के दौरान हुई हो तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय।
2	स्थायी अपंगता होने पर	रुपये 2,00,000 (रुपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप से रुपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रुपये 50,000/- तक रहेगी)
3	घायल होने पर	घायल व्यक्ति के इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप से रुपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रुपये 50,000/- तक होगी)
4	पशुहानि (वन्यप्राणी द्वारा)	राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार
5	पशु घायल	वर्तमान में राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार वन्यप्राणियों द्वारा पशु हानि हेतु देय मुआवजा राशि की 50 प्रतिशत राशि तक क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

निरंतर2

2. उपरोक्त व्यय मांग संख्या 10 शीर्ष 2406 योजना क्रमांक (3896) वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करते पर क्षतिपूर्ति-54 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय सोहरीर)

अपर सचिव

म0प्र0 शासन वन विभाग
मंत्रालय भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ 15-13/2007/10-2,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2016

1. महालेखाकार, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त संभागायुक्त/समस्त कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।
11. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त/क्षेत्र संचालक/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (द्वितीय अपीलीय अधिकारी)
12. समस्त वन मण्डलाधिकारी क्षेत्रीय/उप संचालक/सहायक संचालक, राष्ट्रीय उद्यान (प्रथम अपीलीय अधिकारी)
13. विशेष सहायक माननीय वनमंत्री/निज सहायक, माननीय वन राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, वन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
15. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
16. गार्ड फाईल।

अपर सचिव

म0प्र0 शासन वन विभाग
मंत्रालय भोपाल